

प्रश्न सं. [ क. 1017 ]

प्रति

लोक निर्माण विभाग

मह्यप्रदेश शासन

अवर सचिव

प्रमुख सचिव  
मह्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग

2. प्रमुख अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, मह्यप्रदेश।

1. सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग।

प्रतिनिधि, यूपीए एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

पु.क. 77/प्रस,लोकनिधि/2022

भापाल, दिनांक 04 अगस्त, 2022

(बीरज मण्डल) सचिव  
मह्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग

दुर्घटना और विभाग से संबंधित कार्य स्वीकृत किए जाने हेतु संबंधित प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए प्रस्तावित किया जाता है कि कोई भी ऐसा कार्य, जो वर्ष 2022-23 के बजट से शामिल नहीं है, का प्रावधान प्रमुख अधिकारी द्वारा किया जाये। अनावश्यक प्रस्ताव अशुद्ध कर के आवश्यक्ता नहीं है।

प्रस्तावित कार्यवाही के लिए प्रस्तावित किया जाये। अनावश्यक प्रस्ताव तथा अतिरिक्त अनावश्यकताओं के पूर्णनिर्माण हेतु प्रावधान सर्वोच्च प्रावधान बनाने के क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य, एम.डी.आर. सर्वोच्च प्रावधान के स्वीकृत हेतु प्रमुख अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से अशुद्ध किए जायें। सर्वोच्च प्रावधान के लिए कार्यवाही के लिए प्रस्तावित किया जाये। अनावश्यक प्रस्ताव तथा अतिरिक्त अनावश्यकताओं के पूर्णनिर्माण हेतु प्रावधान सर्वोच्च प्रावधान बनाने के क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य, एम.डी.आर. सर्वोच्च प्रावधान के स्वीकृत हेतु प्रमुख अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से अशुद्ध किए जायें।

आपकी निर्देशित किया जाता है कि म.प्र. शासन के बजट से शामिल कार्यवाही के लिए प्रस्तावित किया जाये। अनावश्यक प्रस्ताव तथा अतिरिक्त अनावश्यकताओं के पूर्णनिर्माण हेतु प्रावधान सर्वोच्च प्रावधान बनाने के क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य, एम.डी.आर. सर्वोच्च प्रावधान के स्वीकृत हेतु प्रमुख अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से अशुद्ध किए जायें।

विशेष :- राज्य बजट वर्ष 2022-23 से शामिल अपटीक्षित म.प्र. के कार्यों के प्रावधान एवं एम.डी.आर. द्वारा करके बाबत।

समस्त मुख्य अधिकारी,  
लोक निर्माण विभाग,  
मह्यप्रदेश।

क. 77/प्रस,लोकनिधि/2022  
भापाल, दिनांक 04 अगस्त, 2022

मंजूर  
लोक निर्माण विभाग  
मह्यप्रदेश शासन

परिशिष्ट-1